THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PESTS AND DISEASES ACT, 1951

(Act No. XXVII of 1951)

[Made by His Highness the Rajpramukh on the 3rd day of October, 1951]

An Act to provide for the prevention of the introduction, spread or reappearance of insect pests and plant diseases.

WHEREAS it is expedient to provide for the prevention of the introduction, spread or reappearance of insect pests and plant diseases injurious to crops, plants or trees in the State of Rajasthan;

It is hereby enacted as follows:-

PART I.

PRELIMINARY

1. Short title, commencement and extent.- (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Pests and Diseases Act, 1951.

(2) It shall come into force on such date* and in such parts of [1][the State of Rajasthan as the [1][State Government] may from time to time, by notification in the [1][Official Gazette] direct.

2. Interpretation.- (1) In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(i) [2][XXX]

(ii) "Insect pest" means any insect or other invertibrate animal which has been declared to be an insect pest by notification under section 3;

(iii) "Inspector" means an inspector appointed under section 10;

(iv) "notified area" means any area specified in the notification issued under section 3 in which a declaration made under the said section shall remain in force;

(v) "occupier" means the person having for the time being the right of occupation of any land or premises or his authorized agent or any person in actual occupation of the land or premises and includes a local authority having such right of occupation or in such actual occupation;

---

*came into force with effect from 1-6-52 vide Notification No.F2(5)Ag.51, dated 16.05.1952, published in the Rajasthan Gazette, No. 50, Part-1, Page 175, dated 24.05.1952.

1 Substituted by section 4 of the Rajasthan Act No. 27 of the 1957, published in the Rajasthan Gazette, Part IV-A, Extraordinary, dated 13-8-1957.

2 Omitted by item No.15 of the Schedule- *ibid*.

This Act now extends to the whole of the State of Rajasthan including Abu, Ajmer and Sunel areas with effect from 1-9-1957 i.e. the date of enforcement of Rajasthan. Act No. 27 of 1957.

(vi) "Plant" includes all agricultural or horticultural crops, trees, bushes or herbs or the seed fruit or any other part thereof which is used for food of man or beast or for any purpose in connection with art or manufacture.

(vii) "Plant disease" means any fungoid, bacterial virus parasitical or other disease declared to be a plant disease by notification under section 3; and

(viii) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

(2) [2][X X X]

PART II
PESTS AND PLANT DISEASES

3. Power to declare insect pests and plant diseases and direct measures to eradicate or prevent them- Whenever it appears to the [1][State Government] that any pest or disease is injurious to plants in any local area and that it is necessary to take measures to eradicate Such pest, or disease or to prevent its introduction, spread or reappearance; the '[State Government], may, by notification in the [1][Official Gazette]-

(i) declare that such pest or disease is an insect pest or plant disease;

(ii) specify the local area within which and the period during which such declaration shall remain in force;

(iii) Prohibit or restrict the movement or removal of any plant, earth, soil, manure or other thing from one place to another;

(iv) direct the carrying out of such preventive or remedical measures, including the destruction of any insect pest or, plant disease of any plants as the '[State Government] may deem necessary, in order to, eradicate such pest or disease or to prevent its introduction spread or re-appearance; and

(v) prescribe the period within which it shall not be lawful to plant within a specified crop, the whole or any portion of the notified area.

4. Duties of occupier on the issue of a notification under section 3.- (1) On the issue of a notification under section-3, every occupier within the notified area shall be bound to carry out the preventive or remedical measures mentioned in such notification.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, in the event of a notified area being invaded or in danger of an invasion by locust, the Collector of the District or other officer authorized by him in this behalf may call upon any male person not below the age of fourteen years resident

---

1 Substituted by section 4 of the Rajasthan Act No.27 of 1957, published in the Rajasthan Gazette, Part IV-A, Extraordinary dated 13-08-1957.

2 Omitted by item No.15 of the Schedule- *ibid*.

in the district to render all possible assistance in carrying out preventive or remedical measures and in the destruction of locust.

Provided as follows:—

(1) no person who is by virtue of old age, illness or physical disability, Incapable of rendering assistance or who lives at a distance of more than five miles from the place where his presence is required, shall be called upon to render any such assistance;
(2) it shall not be necessary to notify every person individually for his services, and a proclamation by beat of drum or other customary mode shall be deemed sufficient notice to all affected persons residing in that village or locality;
(3) any person who fails to render the assistance required of him under sub-section (2) shall on, conviction by a Magistrate, be punishable with fine which may extend to fifty-rupees or in default to simple imprisonment for a period not exceeding ten days, and the offence shall be tried summarily as provided in section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1898.

5. Power of inspector to enter upon any land or premises.- Any Inspector may, after giving the prescribed, notice enter upon any land or premises, situated in the notified area within his local jurisdiction, for the purpose of ascertaining-
(i) Whether there is any insect pest, or plant disease on such land or premises; and
(ii) Whether the preventive or remedical measures or both, as the case may require, mentioned in the notification issued under section 3, have been carried out.

6. Notice to occupier to carry out preventive or remedical measures.- (1) If, on the Inspection of any land or premises under section-5, the inspector finds that there is any insect pest, or plant disease on such land or premises and that the preventive or remedical measures mentioned in the notification issued under section 3 have not been carried out, the inspector may, subject to any general or special orders of the [1][State Government] call upon the occupier of such land or premises, by notice in writing to carry out such preventive or remedical measures within the time specified in such notice.

(2) Within seven days from the date of service of such notice on him under sub-section (1), the occupier may prefer an appeal to the Collector, or to such other Officer as the [2][State Government] may appoint.
(3) On receipt of the appeal under sub-section (2) the Collector or other Officer, as the case may be, may extend the time specified in the notice under sub-section (1) and shall after giving the occupier an opportunity of being heard, pass such order on the appeal, as he thinks fit.
(4) An order passed under sub-section (3) of this section, shall be final and conclusive and shall not be liable to be called in question in any court.

---

1 Substituted by section 4 of the Rajasthan Act No.27 of 1957, published in the Rajasthan Gazette, Part IV-A, Extraordinary dated 13-08-1957.

7. Failure to comply with notice under section 6 and power of Inspector to carry out measures. - (1) if any occupier upon whom a notice has been served under sub-section(1) of section 6 does not comply with such notice within the time specified therein, or, if an appeal has been preferred under sub-section (2) of section 6, does not comply, with the order passed on such appeal, within the time specified in such order the inspector may carry out at the expenses of the occupier, the preventive or remedical measures mentioned in such a notice or order.

(2) The costs of any preventive or remedical measures carried out under sub-section (1) shall be payable by the occupier and shall be recoverable from him as arrears of land revenue.

(3) Any such occupier may, within thirty days from the date of the first demand of such costs from him, prefer an appeal to the Collector or to such other Officer, as the Government may appoint in this behalf on ground that–

(a) the costs include charges for items other than the costs of labour material or use of implements; or

(b) the charges for labour or material or use of implements are unreasonably high.

(4) On receipt of the appeal under sub-section (3), the Collector Officer appointed by the [1][State Government] shall after giving the occupier an opportunity of being heard, pass such orders thereon, as he thinks fit.

(5) An order passed under sub-section (4) shall be final and conclusive and shall not be liable to be called in question in any court.

8. Duty of certain village officers' to report appearance of insect pests or plant diseases.- (1) If any insect pest, or plant disease appears in any village adjoining a notified area, the Patwari or Lambardar of such village shall forthwith report the fact to such officer as the [1][State Government] may appoint in this behalf.

(2) The Officer aforesaid shall on receipt of such report and after making such further inquiry, as he may deem necessary forward it to the [1][State Government] through the Director of Agriculture with his remarks thereon.

9. Offences and penalties.– (1) Whoever removes any plant, earth soil, manure or other thing in contravention of the directions, contained in a notification issued under section 3, shall on conviction by a Magistrate be punishable with fine which may extend to Rs 50/- or in default to simple imprisonment for a period not exceeding ten days.

(2) Any occupier who fails to comply with a notice given under sub-section (1) of section 6 or with any order passed on appeal underr sub section (3) of section 6, shall on conviction by a Magistrate be punishable with fine which may extend to Rs. 50/- or in default to simple imprisonment for a period not exceeding ten days.

---

1 Substituted by section 4 of the Rajasthan Act No.27 of 1957, published in the Rajasthan Gazette, Part IV-A, Extraordinary dated 13-08-1957.

(3) Whoever having once been convicted of an offence under sub-section (1) or (2) of this section is again convicted of an offence under either of these sub-sections shall be punishable with fine which may extend to Rs. 250/- or in default to simple imprisonment not exceeding one month.

PART III

GENERAL

10. Appointments of Inspectors,- The [1][State Government] may, by notification in the [1][Official Gazette], appoint persons as inspectors for such local areas, as may be specified in the notification.

11. Bar of suits or other legal proceedings.- (1) No suit, roproasecution legal proceedings shall lie against the [1][State Government] or any officer of the [1][State Government] in respect of any thing in good faith done or intended to be done under this Act or for any damage to property caused by any action taken in good faith in carrying out the provisions of this Act.

(2) No prosecution under this Act shall be commenced without the previous sanction of the Collector or other Officer autorised by the [1][State Government] in this behalf nor after three months from the date of the commission of the alleged offence.

12. Delgation of power.- The powers conferred of the [1][State Government] under this Act may, with the exception of the powers under section 13, be delegated by the [1][State Government] to any officer.

13. Rules.- (1) The [1][State Government] may from time to time make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generally of the foregoing provisions such rules may be made for all or any of the following purposes:-

(a) the form or manner of giving notice under section 5;

(b) the manner of making an inquiry under section 5;

(c) the method of publication of description of insect pests and plant diseeases and the treatment to be followed;

(d) the qualifications required of the inspectors;

(e) prescribing the officers to whom an appeal may be made and procedure to be followed in such appeal;

(f) prescribing the notices and methods of service thereof, and registers needed for the effective working of the Act; and

---

1 Substituted by section 4 of the Rajasthan Act No.27 of 1957, published in the Rajasthan Gazette, Part IV-A, Extraordinary dated 13-08-1957.

(g) generally to carry out the purposes of this Act.

(3) The rules made under this section shall be subject to the condition of being made after previous publication.

राजस्थान कृषि नाशिकीट तथा रोग अधिनियम, 1951

(1951 का अधिनियम सं. XXVII)
। श्रीमान् राजप्रमुख द्वारा दिनांक 3 अक्तूबर, 1951 का बनाया गया।

नाशिकीट तथा पौध रोगों की उत्पत्ति, प्रसार तथा पुनराविर्भाव के निवारण हेतु उपबंध करने के लिये अधिनियम।

यतः राजस्थान राज्य में फसलों, पौधों या वृक्षों के लिये हानिकारक नाशिकीटों तथा पौध रोगों की उत्पत्ति, प्रसार तथा पुनराविर्भाव के निवारण हेतु उपबंध करना समीचीन है;

अतः इसके द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

भाग—1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा प्रसार** — (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि नाशि कीट तथा रोग अधिनियम, 1951 है।

(2) यह ऐसी तारीख से तथा राजस्थान राज्य के ऐसे भागों में प्रवृत होगा जिनके लिये राज्य सरकार समय—समय पर, राज—पत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश करे।

2. **निर्वचन** —(1) जब तक विषय अथवा संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो, इस अधि नियम में:—

(i) [X X X]

(ii) 'नाशिकीट' से कोई कीट अथवा अन्य अपृष्ठवंशी जीव—जन्तु अभिप्रेत है, जिसे धारा 3 के अधीन अधिसूचना द्वारा नाशिकीट घोषित किया गया है;

(iii) 'निरीक्षक' से धारा 10 के अधीन नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत है;

(iv) 'अधिसूचित' क्षेत्र से धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसा कोई भी क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें उक्त धारा के अधीन की गई घोषणा प्रवृत रहेगी;

(v) 'अधिभोगी' से तत्समय किसी भूमि या परिसर के अधिभोग का अधिकार रखने वाला व्यक्ति या उसका प्राधिकृत एजेन्ट या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके वास्तविक अधिभोग में कोई भूमि या परिसर है, अभिप्रेत है तथा इसमें अधिभोग का ऐसा अधिकार रखने वाला अथवा ऐसे वास्तविक अधिभोग वाला कोई भी स्थानीय प्राधिकारी सम्मिलित है;

(vi) 'पौधा' में समस्त कृषि या उद्यान कृषि फसले, वृक्ष झाड़ियां अथवा जड़ी बूटियां अथवा बीज, फल या उनका कोई अन्य भाग जो मनुष्य अथवा जानवरों के खाद्य के लिये या

कला अथवा विनिर्माण से संबंधित किसी प्रयोजन के लिये उपयोग में लिया जाता है, सम्मिलित है ;

(vii) 'पौध रोग' से कवकीय, जैवाष्यक, संक्रामक, विष, परजीवी या अन्य रोग जो धारा 3 के अधीन अधिसूचना द्वारा पौध रोग घोषित किया गया हो, अभिप्रत है ; तथा

(viii) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

भाग–2
नाशिकीट तथा पौध रोग

3. **नाशिकीट तथा पौध रोग घोषित करने तथा उनके उन्मूलन या निवारण हेतु उपायों का निर्देश करने की शक्ति** – जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि कोई नाशिकीट या रोग किसी स्थानीय क्षेत्र में पौधों के लिये हानिकारक है तथा यह कि ऐसे नाशिकीट या रोग के उन्मूलन अथवा उनकी उत्पत्ति, प्रसार या पुनराविर्भाव के निवारण हेतु उपाय करना आवश्यक है तो राज्य सरकार, राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा :–

(i) यह घोषणा करेगी कि ऐसा कीट या रोग कोई नाशिकीट या पौध रोग है;

(ii) ऐसा स्थानीय क्षेत्र, जिसके भीतर तथा ऐसी कालावधि जिसके दौरान ऐसी घोषणा प्रवृत रहेगी, विर्निदिष्ट करेगी;

(iii) किसी पौध, मिट्टी, मृदा, खाद या अन्य वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने, ले जाने या हटाये जाने को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करेगी;

(iv) ऐसे निवारक या प्रतिकारी उपाय करने का निर्देश दे सकेगी जिसमें किसी नाशिकीट अथवा पौध रोग या ऐसे किन्हीं पौधों का नष्ट करना सम्मिलित है जो राज्य सरकार, ऐसे नाशिकीट अथवा रोग का उन्मूलन करने अथवा उसकी उत्पत्ति, प्रसार अथवा पुनराविर्भाव के निवारण हेतु आवश्यक समझे; तथा

(v) यह कालावधि विहित कर सकेगी, जिसके भीतर सम्पूर्ण अधिसूचित क्षेत्र में या उसके किसी भाग में विनिर्दिष्ट फसल उगाना विधिपूर्ण नहीं होगा।

4. **धारा 3 के अधीन अधिसूचना जारी होने पर अधिभोगी के कर्तव्य** – (1) धारा 3 के अधीन अधिसूचना जारी हो जाने पर अधिसूचित क्षेत्र के भीतर का प्रत्येक अधिभोगी, ऐसी अधिसूचना में वर्णित निवारक या प्रतिकारी उपाय करने के लिये आवद्ध होगा।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी अधिसूचित क्षेत्र पर टिड्डियों का आक्रमण होने अथवा आक्रमण का खतरा होने की दशा में जिले का कलेक्टर या उसके द्वारा इस सबंध में प्राधिकृत अन्य अधिकारी, जिले के निवासी किसी पुरूष से, जो चौदह वर्ष से कम आयु का न हो, निवारक या प्रतिकारी उपायों को कार्यान्वित करने के लिये तथा टिड्डियों को नष्ट करने में समस्त सम्भव सहायता देने की अपेक्षा कर सकेगा।

परन्तु :–

(1) ऐसे किसी व्यक्ति से जो वृद्धावस्था, बीमारी या शारीरिक निर्योग्यता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो या जो उस स्थान से, जहां उसकी उपस्थिति अपेक्षित है 5 मील से अधिक की दूरी पर रहता हो, ऐसी कोई सहायता करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सेवाओं के लिये व्यक्तिशः अधिसूचित किया जाये तथा डोंडी पीटकर या अन्य रूढ़िगत तरीके से की गई उद्घोषणा, उस गांव या बस्ती में रहने वाले समस्त प्रभावित व्यक्तियों के लिए पर्याप्त समझी जायेगी।

(3) कोई व्यक्ति, जो उप–धारा(2) के अधीन उससे अपेक्षित सहायता करने में असफल रहता है, मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास रूपये तक हो सकेगा अथवा जुर्माना न देने पर साधारण कारावास से दंडनीय होगा जो 10 दिन की कालावधि से अधिक नहीं होगा तथा अपराध पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 260 में यथा उपबंधित संक्षेपतः विचार किया जायेगा।

5. **किसी भूमि अथवा परिसर में प्रवेश करने की निरीक्षक की शक्ति** – कोई निरीक्षक, विहित सूचना देने के पश्चात् अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अधिसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भूमि या परिसर से यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश कर सकेगा कि –

(i) क्या ऐसी भूमि या परिसर में कोई नाशिकीट या पौध रोग है, तथा

(ii) क्या धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में वर्णित अपेक्षित निवारक या प्रतिकारी उपाय दोनों, जैसा भी मामले में अपेक्षित हो, कार्यान्वित किए गए है।

6. **अधिभोगी का निवारक या प्रतिकारी उपाय करने के लिए सूचना** –(1) यदि धारा 5 के अधीन किसी भूमि या परिसर का निरीक्षण करने पर निरीक्षक को यह पता चले कि ऐसी भूमि या परिसर पर कोई नाशिकीट या पौध रोग है तथा धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में वर्णित निवारक या प्रतिकारी उपाय नहीं किए गए है तो निरीक्षक, राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी भूमि या परिसर के अधिभोगी से लिखित सूचना देकर, ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे निवारक या प्रतिकारी उपाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) अधिभोगी उप–धारा (1) के अधीन उस पर ऐसी सूचना की तामील की तारीख से सात दिन के भीतर कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार नियुक्त करे, अपील कर सकेगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन अपील प्राप्त होने पर कलेक्टर या अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उप–धारा (1) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट समय को बढ़ा सकेगा तथा अधिभोगी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील पर ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।

(4) इस धारा की उप–धारा (3) के अधीन पारित आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा तथा उसकी किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।

7. **धारा 6 के अधीन सूचना का पालन करने में असफल होने पर उपाय करने के लिए निरीक्षक की शक्ति** –(1) यदि कोई अधिभोगी, जिस पर धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन

सूचना तामिल की गई है, ऐसी सूचना का पालन उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं करता है या यदि धारा 6 की उप–धारा (2) के अधीन कोई अपील कर दी गई है, तो ऐसी अपील पर पारित आदेश का पालन ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं करता है तो निरीक्षक, अधिभोगी के खर्च पर, ऐसी सूचना या आदेश में वर्णित निवारक या प्रतिकारी उपायों को कार्यान्वित कर सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किये गये निवारक या प्रतिकारी उपायों का खर्चा अधिभोगी द्वारा सदेय होगा तथा वह उससे भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(3) ऐसा कोई भी अधिभोगी, उससे ऐसे खर्चो की प्रथम मांग की तारीख से तीस दिन के भीतर कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस सबंध में नियुक्त करे निम्नलिखित आधार पर अपील कर सकेगा कि :–

(क) खर्चों में मजदूरी, सामान या उपकरणों के उपयोग की मदों से भिन्न मदों पर हुआ व्यय सम्मिलित है या

(ख) मजदूरी या सामान या उपकरणों के उपयोग के लिए व्यय युक्तियुक्त रूप से अधिक है।

(4) कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी उप–धारा (3) के अधीन अपील प्राप्त होने पर अधिभोगी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।

(5) उप–धारा (4) के अधीन पारित आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा तथा उसको किसी भी न्यायालय में प्रश्नागत नहीं किया जायेगा।

8. **कतिपय ग्राम अधिकारियों का नाशिकीट या पौध रोग के आविर्भाव की रिपोर्ट करने का कर्तव्य** –(1) यदि अधिसूचित क्षेत्र के साथ लगे हुए किसी गांव मे कोई नाशिकीट या पौध रोग का आविर्भाव होता है तो ऐसे गांव का पटवारी या लम्बरदार इस तथ्य की रिपोर्ट तत्काल ऐसे अधिकारी को करेगा जिसे राज्य सरकार इस सबंध में नियुक्त करे।

(2) पूर्वोक्त अधिकारी, उस रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, अपनी टिप्पणी के साथ उसे राज्य सरकार को, निदेशक कृषि विभाग के माध्यम से अग्रेषित करेगा।

9. **अपराध और शास्तियां** – (1) जो कोई धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में अन्तर्विष्ट निर्देशों के उल्लंघन में किसी पौधे, मिट्टी, मृदा, खाद या अन्य वस्तु को हटाता है, मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो 50/– रूपये तक हो सकेगा या जुर्माना न देने पर साधारण कारावास से दंडनीय होगा जो 10 दिन की कालावधि से अधिक नहीं होगा।

(2) कोई अधिभोगी जो धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन दी गई सूचना या धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन अपील पर पारित किसी आदेश का पालन नहीं करता है, मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो 50/– रूपये तक हो सकेगा या जुर्माना न देने पर साधारण कारावास से दंडनीय होगा जो 10 दिन की कालावधि से अधिक नहीं होगा।

(3) जो कोई इस धारा की उप–धारा (1) या (2) के अधीन किसी अपराध के लिए एक बार दोषसिद्ध ठहराया जा चुका है, इनमें से किसी भी उप–धारा के अधीन पुनः दोष सिद्ध ठहराया जाता है तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो 250/– रू. तक हो सकेगा या जुर्माना न देने पर साधारण कारावास से दंडनीय होगा जो एक मास से अधिक नहीं होगा।

भाग–3

सामान्य

10. **निरीक्षकों की नियुक्तियां** – राज्य सरकार, राज–पत्र मे अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए, व्यक्तियों की नियुक्ति निरीक्षक के रूप में कर सकेगी।

11. **वादों या अन्य विधिक कार्यवाहियों का वर्जन** –(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के संबंध में या इस अधिनियम के उपबन्धों को सद्भावपूर्वक कार्यान्वित करने में की गई किसी कार्यवाही द्वारा संपत्ति को कारित किसी नुकसान के लिए कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन कलेक्टर की या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत अन्य अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना और अभिकथित अपराध के किए जाने की तारीख से तीन मास पश्चात् प्रारंभ नहीं किया जायेगा।

12. **शक्ति का प्रत्यायोजन** – धारा 13 के अधीन की शक्तियों को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को प्रद्त शक्तियां, राज्य सरकार द्वारा किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित, की जा सकेगी।

13. **नियम** –(1) राज्य सरकार, समय–समय पर इस अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेंगी।

(2) विशिष्ट रूप से तथा पूर्वगामी उपबन्धो की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त प्रयोजनों के लिए या उनमें से किसी प्रयोजन के लिए बनाये जा सकेंगे –

(क) धारा 5 के अधीन सूचना देने का प्ररूप या रीति,
(ख) धारा 5 के अधीन जांच करने की रीति,
(ग) नाशिकीट तथा पौध रोगों का वर्णन प्रकाशित करने का तरीका तथा किये जाने वाले उपचार,
(घ) निरिक्षकों के लिए प्रेषित अर्हताएं,
(ड.) उन अधिकारियों को जिनकी अपील की जा सकेगी तथा वह प्रक्रिया जिसका ऐसी अपील में अनुसरण किया जाना है, विहित करना,
(च) सूचनायें तथा उनकी तामील के तरीके तथा इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित रजिस्टरों को विहित करना,
(छ) सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करना।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये नियम, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जाने की शर्त के अध्यधीन होंगें।

————————